न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 54 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. भंवरलाल पुत्र कालूरामजी 2. प्रकाशकुमार पुत्र कालूरामजी जाति प्रजापत सभी निवासीयान धोरा नाडी के पास बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. योगेशकुमार पुत्र मदनलालजी कौम भंसाली ओसवाल निवासी वालोतरा तहसील पचपदरा 2. गीतिका दुवे पत्नी अजयचन्द दुवे कौम राजपुरोहित निवासी वालोतरा तहसील पचपदरा 3. संतोषदेवी पत्नी विष्णुदास जाति अग्रवाल 4. नेमाराम पुत्र कोलाराम जाति सुथार 5. शंकरलाल पुत्र नेनाराम जाति प्रजापत 6. अशोक कुमार मच्छाराम जाति सुथार सभी निवासीयान बालोतरा तहसील पचपदरा 7. देदाराम पुत्र गोरखाराम 8. चैनाराम पुत्र गोरखाराम 9. देवाराम पुत्र जुगताराम 10. पीराराम पुत्र चुतराराम 11. देवाराम पुत्र जुगताराम जाति जाट निवासीयान आगोलाई तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 12. शोभाराम पुत्र कानाराम 13. शम्भुराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासीयान ढाढणिया जिला जोधपुर। 14. श्रीमती गीतादेवी पत्नी भरतकुमार जाति अग्रवाल निवासी डीसा गुजरात 15. सीतादेवी पत्नी पुरूषोतम गुप्ता

16.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	जाति अग्रवाल निवासी सांचौर 16. रेखादेवी पत्नी अशोककुमार जाति पालीवाल निवासी जवरदस्त हनुमानजी मंदिर के पास वालोतरा तहसील पचपदरा जिला वाड़मेर 17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2020 बअनवान योगेषकुमार बनाम गीतिका दुबे वगैरा में पारित आदेश दिनांक 10.04. 2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री दिनेश कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—16.01.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी पी सी का पेश किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने उक्त दावा में अपनी तरफ से पैरोकारी करने हेतु वकील रूगाराम कड़वासरा को नियुक्त नहीं किया था वकील रूगाराम कड़वासरा ने वकालतनामा पर अपीलांट संख्या 01 के फर्जी हस्ताक्षर अग्रंजी में करके उसकी तरफ से उपस्थिति दी लेकिन अपीलांट कम पढा लिखा व्यक्ति है जो हिन्दी में ही हस्ताक्षर करता है जो अवलोकन से ही साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद में अपीलांटस को सम्मक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पचपदरा से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

16.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 15 व 16 को रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस जारी करने का कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है। सी पी सी के आदेश 05 नियम 9 व 19 ए में स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देश देने पर ही रजि.एडी. के द्वारा नोटिस प्रतिवादी को भेजे जावे। रेस्पोडेंट ने बिना अदालत के आदेश के प्रथम बार में ही अपीलांट पर व्यक्तिगत तामील हेतु सम्मन नहीं भेज कर स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजे गये जो अपीलांट को प्राप्त नहीं हुए न स्पीड पोस्ट से भेजे नोटिस की विधि में कोई मान्यता ही है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने उक्त दावा में अपनी तरफ से पैरोकारी करने हेतु वकील रूगाराम कड़वासरा को नियुक्त नहीं किया था वकील रूगाराम कड़वासरा ने वकालतनामा पर अपीलांट संख्या 01 के फर्जी हस्ताक्षर अग्रंजी में करके उसकी तरफ से उपस्थिति दी लेकिन अपीलांट कम पढा लिखा व्यक्ति है जो हिन्दी में ही हस्ताक्षर करता है जो अवलोकन से ही साबित है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2017(1) Page 228
RRT 2010(1) Page 216
RRD 1997 Page 331
DNJ 2020(1) Page 310

16.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

DNJ 2019(4) Page 1455
DNJ 2018 Page 1422
DNJ 2021(1) Page 72

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की जानकारी अपीलांटस को शुरू से ही अपीलकर्ता को रही है, तथा वर्तमान अपील में अपीलकर्तागण द्वारा मात्र हवाई तौर से अपने अधिवक्ता पर आक्षेप लगाया है किन्तु अपीलकर्तागण द्वारा अधिवक्ता नियुक्त नहीं करने या फर्जी हस्ताक्षर करने के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की, जिससे अपीलकर्ता के उक्त कथन अपने आप में ही झुठे सिद्ध होने से मानने योग्य नहीं है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.04.2023 पारित कर वादग्रस्त भूमि का पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया है, जो जिस हेतु पत्रावली लम्बित है, अलावा इसके अपीलकर्ता तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत होकर माफिक कब्जा काश्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा सकता है, किन्तु उसके उपरांत भी अपीलकर्ता द्वारा मात्र प्रकरण को लम्बा करने की बदनियति से वर्तमान अपील प्रस्तुत की है, जो चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में लिखित बहस में निम्न न्यायिक दृष्टांत का उद्धरण कियाः—

DNJ 2023(3) Page 988

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात गुणावगुण पर पारित किया

16.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया। अपीलाधीन निर्णय से अपीलांटस को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का मौका दिया गया है जो विधि सम्मत है। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2020 बअनवान योगेषकुमार बनाम गीतिका दुबे वगैरा में पारित आदेश दिनांक 10.04.2023 को यथावत रखा जाता है।

16.1.24
(मंगलाराम एनिवाधिकारी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर